राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 3200/2005

राय साहब बिश्नोई पुत्र श्री लालचंद बिश्नोई, आयु लगभग 44 वर्ष, गाँव बिक्मेवाला, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के निवासी, वर्तमान में पटवारी, पटवार मंडल, जानकीदासवाला, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर के रूप में तैनात हैं।---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. उप सचिव, राजस्व विभाग (समूह-I), सचिवालय राजस्थान, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।

2. जिला कलेक्टर (राजस्व), श्रीगंगानगर.----उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए:-श्री एच. एस. सिद्धू

प्रत्यर्थी (ओं) के लिए:-श्री आई. एस. पारीक

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

24/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2-जिला कलेक्टर (राजस्व), श्री गंगानगर द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 16.10.2002(अनुलग्नक-पी/8) से उत्पन्न होती है, जिसके तहत उसे संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई थी, साथ ही, यहाँ चुनौती के तहत एक

अपीलीय आदेश दिनांक 21.02.2005 (अनुलग्नक-पी/11) है, जिसके तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त सजा आदेश को बरकरार रखा गया था।

2. प्रासंगिक तथ्यों को पहले, अनावश्यक विवरणों से अलग करें। याचिकाकर्ता, सूरतगढ़ तहसील, जिला श्रीगंगानगर में एक पटवारी के रूप में सेवा करते हुए और अतिरिक्त रूप से पटवार मंडल, सरदार खार्ता की देखरेख करने का काम करते हुए, याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए एक उप-मंडल अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ता के राजस्व कार्य में लगे होने के स्पष्टीकरण और सरदार खार्ता में एक बैठक के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को उसके जवाब पर विचार किए बिना दो श्रेणी वृद्धि रोककर दंडित करने के लिए आगे बढ़े। एक समीक्षा याचिका के माध्यम से बाद के प्रयासों के बावजूद, जिसमें याचिकाकर्ता ने सरदार खार्ता में अपनी उपस्थिति का निर्देश देते हुए सरपंच के एक पत्र का हवाला दिया, जिला कलेक्टर ने जुर्माने को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता की याचिका भी खारिज कर दी गई। इसलिए तत्काल रिट याचिका, सजा के साथ-साथ अपीलीय आदेश को भी लागू करती है।

3. प्रत्यर्थियों की ओर से दाखिल विवरणी में यह रुख अपनाया गया है कि याचिकाकर्ता सरपंच के आदेश के तहत काम करने के लिए बाध्य नहीं था। ग्राम पंचायत की बैठक एक महीने की 5 वीं और 20 वीं तारीख को आयोजित की जाती है और किसी अन्य तारीख को पटवारियों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि राजस्व से संबंधित कुछ काम किसी पटवारियों द्वारा किए जाने थे, तो प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए था और संबंधित तहसीलदार को जानकारी भेजी जानी चाहिए थी। उप-मंडल अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण

की तारीख पर, याचिकाकर्ता मुख्यालय में मौजूद नहीं था। याचिकाकर्ता ने प्रशासनिक निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया जिसमें कहा गया था कि मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में, एक पटवारी को पूर्व सूचना देने/या मुख्यालय में ऐसी जानकारी चिपकाने की आवश्यकता होगी। इसलिए, सजा उचित रूप से दी गई और रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों को सुना है, जो संबंधित दलीलों के अनुरूप हैं।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मामले के गुण-दोष के संबंध में प्रतिद्वंद्वी दावों की निंदा करते हुए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सजा देने वाले प्राधिकरण ने, जिसने सजा देने का आक्षेपित आदेश पारित किया था, प्रशासनिक अनुचितता का कार्य किया। रिकॉर्ड से उत्पन्न होने वाली स्वीकार की गई स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता को श्रीमती सोनी गुप्ता आई. ए. एस., द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई थी। जो संबंधित समय में अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे। हालांकि, इससे पहले कि वह दलीलें सुनने के बाद आदेशों को अंतिम रूप देती, उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद, उनके उत्तराधिकारी प्रभारी श्री रामावतार रघुवंशी, आई. ए. एस. ने उनके स्थानांतरण के सात महीने बाद आक्षेपित सजा का आदेश पारित किया।

6. आधार में, याचिकाकर्ता को दी गई व्यक्तिगत सुनवाई केवल एक औपचारिकता थी, यह देखते हुए कि सक्षम प्राधिकारी, जिसने अंततः सजा सुनाई थी, ने वास्तव में ऐसा करने से पहले याचिकाकर्ता को नहीं सुना था। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उठाया। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकरण इस चिंता को स्वीकार करने या संबोधित करने में विफल रहा, और इसके बजाय अनुशासनात्मक प्राधिकरण

द्वारा पारित आदेश को यंत्रवत रूप से बरकरार रखा, उसी कारण का हवाला देते हुए जो बाद वाले द्वारा दर्ज किया गया था।

7. इसके अलावा, गुण-दोष पर भी, मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के साथ खुद को राजी करने में असमर्थ हूं। याचिकाकर्ता की ओर से कथित अपराध यह है कि उसने जानबूझकर दिनांकित 14.12.1999 के प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करके अवज्ञा का कार्य किया, जिसमें निर्धारित किया गया था कि पटवारियों को हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के साथ स्टेशन मुख्यालय में रहना चाहिए। आइए हम ऐसे आरोपों के आह्वान की भ्रांति का विश्लेषण करें, जो उत्तरदाताओं के अपने रिकॉर्ड से स्पष्ट है।

8. दिनांक 11.04.2000 (अनुलग्नक-P/1) के एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को दो पटवारों, अर्थात् सरदार खार्ता और 15SGGR का दोहरा प्रभार सौंपा गया था। याचिकाकर्ता को प्रभार सौंपते समय सक्षम प्राधिकारी का यह दायित्व था कि वह सप्ताह के उन दिनों को निर्दिष्ट करे जो उसे प्रत्येक मुख्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। हालाँकि, चूंकि वह दोहरे प्रभार का प्रयोग कर रहा था, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि दोहरे प्रभार के संबंध में आदेश इस मामले पर पूरी तरह से मौन है।

9. जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता दिनांकित 14.12.1999 के प्रशासनिक निर्देशों के संदर्भ में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दोनों मुख्यालयों में से किसी एक में मौजूद था?

10. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है और कारण खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं। आइये देखते हैं कैसे। विवादित सजा आदेश पारित करते समय, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दो पटवारों को प्रभार सौंपने की उपरोक्त स्थिति की अवहेलना की गई थी। यह केवल

नोट किया गया था कि याचिकाकर्ता उप-मंडल अधिकारी द्वारा दौरा किए गए मुख्यालय में मौजूद नहीं था, जिस दौरान याचिकाकर्ता अनुपस्थित था। महत्वपूर्ण रूप से, ऐसा कोई अभिलिखित निष्कर्ष नहीं है जो यह दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता दूसरे मुख्यालय से अनुपस्थित था, जहाँ वह दोहरी जिम्मेदारी रखता था। अपने दावे के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने सरपंच से एक पत्र भी प्रदान किया जिसमें कहा गया था कि जिस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उप-मंडल अधिकारी ने दूसरे मुख्यालय का दौरा किया था, याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उसे सरदार खार्ता में आयोजित एक राजस्व शिविर में उपस्थित होने की आवश्यकता थी, जहां उसे जनहित में राजस्व से संबंधित कर्तव्यों में भाग लेना था।

11. मेरी चर्चा के परिणाम के रूप में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ-साथ गुण-दोष दोनों के उल्लंघन के आधार पर, विवादित दंड आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश भी टिकाऊ नहीं हैं और तदनुसार उन्हें बाद के परिणामों के साथ अलग कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार्य ब्याज के साथ वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

13. किसी भी लंबित आवेदन का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।